31

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1594—अध्यक्ष/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—11—2008 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 04/निगरानी/2008—09.

.....

गणेश प्रसाद पुत्र पूरणमल अग्रवाल
निवासी श्योपुर तहसील व जिला
श्योपुर म0प्र0

—— आवेदक

विरूद्ध

1—पटवारी मौजा नागदा तहसील व
जिला श्योपुर म0प्र0
2—मध्य प्रदेश शासन

—— अनावेदकगण

.....

श्री एस0 के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
शासन के पैनल, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 21-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—11—2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा एक आवेदन तहसीलदार वृत्त —2 श्योपुर के न्यायालय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नागदा की उसकी भूमि स्वामित्व सर्वे कमांक 1016/1 रकबा 4 बीघा के बटांकन तरमीम का आदेश प्रकरण कमांक 55/98—99/बी—121 प्रकरण कमांक 17/अ—90/अ—6 अ आदेश दिनांक 29.12.93 से होने

के बाद उसका अमल कराया गया किन्तु दिनांक 10.01.06 को नकल लेने पर ये तरमीम जानबूझकर हटा दी गई हैं उक्त तरमीम पूर्व बहाल करने का निवेदन किया था, तहसीलदार ने उनका आवेदन दिनांक 29.10.07 को निरस्त किया गया। इससे दुखित होकर आवेदक द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 03.11.08 को तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक की निगरानी निरस्त की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2006 के जनवरी माह में आवश्यकता नक्शे की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि तहसील आदेश के पालन में नक्शे में किये गये बटांकन तरमीम को विलोपित कर पूर्व स्थिति बना दी गई है पटवारी के पास दो नक्शें थे। एक में तरमीम दर्शायी गई व दूसरे में नहीं थी। ज्ञान होने पर आवेदक ने वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों के समक्ष आवेदन देकर अनाधिकृत कृत्य के सुधार की प्रार्थना की परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर समस्त तत्य वर्णित करते हुये आवेदक को न्याय देने की प्रार्थना की परन्तु तहसीलदार ने अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का उचित प्रयोग करने के स्थान पर मनमाने रूप से आवेदन निरस्त कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष समस्त आवश्यक प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कर सिद्व किया गया था कि उसी भूमि के नक्शे में बटांकन करते हुये तरमीम की गई थी। परन्तु तहसीलदार ने लोक दस्तावेजों की प्रतियों पर विश्वास न करते हुये आवेदन निरस्त करने में गंभीर भूल की। ऐसे आदेश को स्थिर रखा जाना न्यायसंगत नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश उचित एवं सही हैं उनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अंत में निवेदन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुनें। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार श्योपुर ने अपने आदेश दिनांक 29.10.07 के अंतिम पेरा में लेख किया है कि आवेदक ने प्रकरण कमांक 17/1989–90/अ–6अ में आदेश दिनांक 29.12.93 की जो नकल प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर तरमीम का अमल चाहता है वह सही है तथा कहीं से निरस्त भी नहीं हुई है तो भी उस आदेश के साथ नक्शे में तरमीम के संबंध में कोई आदेश संलग्न नहीं है और न ही आदेश में ऐसा कुछ कहा गया है कि संलग्न तरमीम आदेश का आवश्यक अंग होगी बल्कि उसमें 1016 के केवल दो बटा नम्बर 1016 एवं 1016/2 स्वीकार किये गये हैं जबकि वर्तमान समय में इसमें 4 बटा नम्बर हो चुके हैं तथा 1016/4 में भी दो बटा नम्बर हो चुके हैं इसके अतिरिक्त उस प्रकरण में पक्षकार भी अलग अलग हैं। इस बात का उल्लेख कलेक्टर द्वारा भी अपने आदेश में किया गया है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार का आदेश स्थिर रखा हुआ है। अतः कलेक्टर के आदेश दिनांक 3.11.08 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आवेदक चाहे तो वह पुनः अपना प्रथक से तरमीम की कार्यवाही कराने में स्वतंत्र है।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 4/2008–09/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03–11–2008 उचित होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर